न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2021/54

1. लिछमा पुत्री सुखा पत्नी बिश्नाराम जाति नायक निवासी सुलेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

– वादीया

बनाम

1. सुशीला पुत्री सुखा पत्नी भागीरथ जाति नायक निवासी जैसां तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
2. गौरा पुत्री सुखा पत्नी सुखाराम जाति नायक निवासी फूलेजी तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
3. पुनम पुत्री सुखा पत्नी रामेश्वर जाति नायक निवासी कूंपली तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
4. कैलाश पुत्र इमरती पुत्री सुखा पत्नी हेमाराम जाति नायक निवासी भीखनेरा तहसील लूनकरनसर
5. राजु पुत्र इमरती पुत्री सुखा पत्नी हेमाराम जाति नायक निवासी भीखनेरा तहसील लूनकरनसर
6. विमला पुत्री इमरती पुत्री सुखा पत्नी हेमाराम जाति नायक निवासी भीखनेरा तहसील लूनकरनसर
7. द्रोपती पुत्री इमरती पुत्री सुखा पत्नी हेमाराम जाति नायक निवासी भीखनेरा तहसील लूनकरनसर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री लालचन्द जाट वकील वादीगण
2. श्री नेतराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 2, 4ता7 की ओर से
3. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 07.08.2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही जैसां तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 13 तादादी 8.87 हैक्टेयर मे 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। जो वादीया को अपने पिता सुखा के देहान्त के बाद विरास्तन इन्तकाल से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुवा है। विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करते समय वादीया का नाम लिछमा की जगह राजू सहबन से दर्ज हुआ है। जो महज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त करवाने हेतु

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत घोषणात्मक वाद एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादगत भूमि का विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करते समय सहबन से वादीया का नाम लिछमा की जगह राजू लिख दिया गया जबकी वादीया का वास्तविक नाम लिछमा है। जिसके साक्ष्य मे दस्तावेज शपथ पत्र, आधार कार्ड, जनाधार प्रति, ग्राम पंचायत डुडीवाली का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किए है। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की है । प्रतिवादी संख्या 2,4ता7 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद रजि समन हाजिर नहीं इसलिये प्रतिवादी संख्या 1व 3 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। ततपश्चात वकील वादीया ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि मे वादीया का नाम सहवन से राजू लिख दिया गया जो दुरूस्ती योग्य है क्योंकि वादीया का सही नाम लिछमा है। जिसकी ताहीद वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। इसलिए वादीया का वाद स्वीकार कर उपरोक्त वादगत भूमि मौजा रोही जैसां तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 13 तादादी 8.87 हैक्टेयर मे 1/9 हिस्सा भूमि मे वादीया का नाम राजू पुत्री सुखा की जगह लिछमा पुत्री सुखा दुरुस्त करने की डिकी प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत डुडीवाली की तस्दीक, शपथ पत्र , आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीया का सही नाम लिछमा है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजो से होती है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजा रोही जैसां तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 13 तादादी 8.87 हैक्टेयर मे 1/9 हिस्सा भूमि मे वादीया का नाम राजू पुत्री सुखा की जगह लिछमा पुत्री सुखा दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

लिछमा बनाम सुशीला वगै

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 54 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही जैसां तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 13 तादादी 8.87 हैक्टेयर मे 1/9 हिस्सा भूमि मे वादीया का नाम राजू पुत्री सुखा की जगह लिछमा पुत्री सुखा दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-........................ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 07.08.2023 को न्यायालय हाजा में डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर